संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A4-48(P-II) /2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–931, दिनाक 21–05–2019 एवं पत्रांक–930, दिनाक 21–05–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा **जे0बी0 इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, ग्राम–शंकरपुर, चकराता रोड, देहरादून** को बी0टैक0 एवं एमoटैक0 पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति जी की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा–24(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को **बी0टैक0** (Civil Engg., Computer Science & Engg., Electrical Engg., Electronics & Communication Engg. & Mechanical Engg.) **तथा एम0टैक0** (Computer Science & Engg.) **(क्रमशः 60, 60, 30, 30, 60, व 24 सीट) पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के** प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति / पुर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अन्तिम निर्णय लेते हुए तदनुसार अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण आदेश विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत करने की कार्यवाही की जाय व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समयसारिणी के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

4– तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या–1427 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A4-48(P-II) / 2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव / निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।
4. प्राचार्य / प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।